संख्या-349/2018/3191/22-2-2017-17(15)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल, 2018**

विषयः- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राशिद पुत्र श्री अब्दुल मजीद, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43540/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02-05-2017) दिनांक-07-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 07-12-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राशिद पुत्र श्री अब्दुल मजीद, निवासी ग्राम-रीक्षिन, थाना-हरगांव, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी के एक सम्बन्धी की दिसम्बर 1980 में हत्या हुई थी। उक्त हत्या के सभी आरोपित दोषमुक्त हो गये। आरोपितों के दोषमुक्त होने से क्षुब्ध होकर बदला लेने की नियत से दिनांक 28-02-1982 को 16 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर घर को चारों ओर से घेर कर घुस कर तमंचा**,** बन्दूक**,** गड़ासा व स्टिक्स से हमला कर 03 लोगों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-371/1982 में भा0द0वि0 की धारा-307/149**, 302**/149**, 452**,148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2, सीतापुर के आदेश दिनांक 29.10.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-804/1983 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.1992 द्वारा उक्त अपील को निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा के दण्ड से दोषमुक्त किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में गवर्नमेंट क्रिमिनल अपील सं0-142/1996 योजित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 05.03.2003 द्वारा उक्त अपील को निस्तारित करते मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक 23 वर्ष 00 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष 10 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने अपने सम्बन्धी की हत्या का बदला लेने की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रंजिश में दिनांक 28-02-1982 को 16 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा, बन्दूक, गड़ासा व स्टिक्स से हमला कर 03 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, अपराध करने में अशक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता अपराध करने में अशक्त न होने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राशिद पुत्र श्री अब्दुल मजीद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राशिद (बन्दी संख्या-58/2014) पुत्र श्री अब्दुल मजीद, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-349/2018/3191(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-349/2018/3191/22-2-2017-17(15)/2010
दिनांक 19 अप्रैल, 2018 का संलग्नक
सरकार के आदेश

जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राशिद (बन्दी संख्या-58/2014) पुत्र श्री अब्दुल मजीद, निवासी ग्राम-रीक्षिन, थाना-हरगांव, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी के एक सम्बन्धी की दिसम्बर 1980 में हत्या हुई थी। उक्त हत्या के सभी आरोपित दोषमुक्त हो गये। आरोपितों के दोषमुक्त होने से क्षुब्ध होकर बदला लेने की नियत से दिनांक 28-02-1982 को 16 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर घर को चारों ओर से घेर कर घुस कर तमंचा, बन्दूक, गड़ासा व स्टिक्स से हमला कर 03 लोगों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-371/1982 में भा0द0वि0 की धारा-307/149, **302**/149, **452**,148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2, सीतापुर के आदेश दिनांक 29.10.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-804/1983 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.1992 द्वारा उक्त अपील को निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा के दण्ड से दोषमुक्त किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में गवर्नमेंट क्रिमिनल अपील सं0-142/1996 योजित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 05.03.2003 द्वारा उक्त अपील को निस्तारित करते मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक 23 वर्ष 00 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष 10 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने अपने सम्बन्धी की हत्या का बदला लेने की रंजिश में दिनांक 28-02-1982 को 16 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा, बन्दूक, गड़ासा व स्टिक्स से हमला कर 03 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, अपराध करने में अशक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता अपराध करने में अशक्त न होने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राशिद पुत्र श्री अब्दुल मजीद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in